प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2018 को आयोजित विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2018 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. NIC एवं BSWAN के विडियो कॉफ्रेंस का सर्वर प्रायः down रहती है, जिसके कारण नगर निकायों के साथ विडियो कॉफ्रेंस आयोजित करने में कठिनाई होती है। आई०टी० मैनेजर को निर्देश दिया गया कि विभाग में अपना निजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से विडियो कॉफ्रेंस की व्यवस्था हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय। यह व्यवस्था सभी नगर निकायों में स्थापित किया जाय ताकि उन्हें जिला स्तर पर विडियो कॉफ्रेंस केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं हो। इस हेतु बेल्ट्रॉन के साथ आज ही समन्वय किया जाय।

(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

3. CFMS के संबंध में आई०टी० मैनेजर द्वारा जानकारी दी गयी कि 60 role assignment हो चुके हैं। निर्देश दिया गया कि बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड को CFMS से tag किया जाय और role assignment का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय तथा जिन–जिन नगर निकायों से DDO code प्राप्त नहीं हुआ है, उन नगर निकायों को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

4. श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक द्वारा बताया गया कि शेष 12 नगर परिषद शहरों की GIS Mapping का टेण्डर तैयार हो गया है एवं इससे संबंधित संचिका 2 दिनों में उपस्थापित कर दी जाएगी। निर्देश दिया गया कि इस सप्ताह में इसकी निविदा अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय तथा संबंधित नगर निकायों से समन्वय कर GIS Mapping का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन :– श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक)

5. AMRUT योजनांतर्गत चयनित PDMC में से तत्काल 03 कर्मियों को मुख्यालय में रखा जाय। राज्य के 6 प्रमंडल मुख्यालय के नगर निकायों में इनके बैठने के लिए कार्यालय की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु संबंधित नगर निकायों को पत्र भेजा जाय एवं प्रत्येक कार्यालय में दो–दो कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाय। जिन नगर निकायों में AMRUT योजनांतर्गत पार्क का डी०पी०आर० नहीं बना है, वहाँ एक–एक कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाय। मुख्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मियों का उपयोग AMRUT कार्य के अतिरिक्त प्रॉपर्टी सर्वे संबंधी कार्य में भी किया जाय।

(अनुपालन :– श्री अनिल कुमार मिश्रा, का०अभि०)

6. प्रॉपर्टी सर्वे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनायी जाय एवं शेष बचे शहरों के प्रॉपर्टी सर्वे कार्य की निविदा शीघ्र प्रकाशित की जाय। **(अनुपालन :– श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)**

7. निर्देश दिया गया कि जिन–जिन नगर निकायों में प्लानिंग एरिया ऑथोरिटी का गठन हो गया है, उनसे कर्मियों के पद सृजन हेतु प्रस्ताव माँगा जाय। **(अनुपालन :– श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)**

8. जिन नगर निकायों में प्लानिंग एरिया ऑथोरिटी का गठन हो गया है, उन नगर निकायों के सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं को भवनों के नक्सा पास करने के संबंध में विभाग स्तर से दिनांक 05.06.2018 को प्रशिक्षण आयोजित करायी जाय। **(अनुपालन :– श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक)**

9. दोनों सहायक नगर निवेशकों को निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 28.05.2018 को एक बेगूसराय नगर निगम एवं एक छपरा नगर निगम में प्लानिंग एरिया के गठन के संबंध में स्थल भ्रमण करेंगे।
(अनुपालन :– श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक/श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)

10. TCPO में Cheif Town Planner, Assistant Town Planner, Associate Planner आदि की स्वीकृत रिक्त पदों पर तत्काल संविदा के आधार पर नियोजन हेतु कार्रवाई की जाय। इससे संबंधित संचिका एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित की जाय। **(अनुपालन :– श्री सर्वानंद, सहायक नगर निवेशक)**

11. बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रॉपर्टी का आवंटन, ई०–निलामी आदि से संबंधित अद्यतन स्थिति का Overall प्रतिवेदन बिहार राज्य आवास बोर्ड से प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा जाय।
(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–10)

12. Affordable Housing Policy एवं CLSS कार्यान्वयन की समीक्षा/जानकारी हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारियों, AMRUT शहरों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों, Builder Association, IDA एवं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति आदि के साथ दिनांक 29.05.2018 को बैठक आयोजित करायी जाय। इस संबंध में संबंधितों को पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक)**

13. पूर्व से निदेशित किया जाता रहा है कि आरोप से संबंधित विभाग में प्राप्त परिवादों पर की गयी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन पाक्षिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु नियमित रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाय, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। निर्देश दिया गया कि अद्यतन प्रतिवेदन के साथ संचिका आज ही उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–9)**

14. विभाग के सभी योजनाओं में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना MIS Cell द्वारा MIS में अपलोड किया जा रहा है। Team Leader, MIS Cell को निर्देश दिया गया कि MIS में प्रविष्ट किये गये उपयोगिता प्रमाण से संबंधित लिंक google doc के माध्यम से सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों को share किया जाय ताकि संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी अपने प्रशाखा से संबंधित योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति से स्वयं अवगत हो सकें।
(अनुपालन :– Team Leader, MIS Cell)

15. प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति आदि से संबंधित प्रश्नों की पाक्षिक समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय तथा वर्षवार अनुपालन प्रतिवेदन अवलोकन हेतु पाक्षिक तौर पर संचिका में अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय।
(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

16. निर्देश दिया गया कि stablishment of Urban development authority एवं city sanitation plan के निर्माण के संबंध में आज ही AMRUT शहरों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को दिशानिर्देश भेजा जाय। **(अनुपालन :– श्री अनिल कुमार मिश्रा, का०अभि०)**

17. AMRUT शहरों के performance grant यथा waste collection, swachchata app, transport of waste आदि का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों से प्रतिवेदन में हस्ताक्षर कराया जाय। **(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)**

18. विभाग में 201 कनीय अभियंता की नियुक्ति की अधियाचना बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है, जिसमें अभी समय लगने की संभावना है। नगर निकायों में कनीय अभियंता की कमी को देखते हुए तत्काल सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाय। **(अनुपालनः–प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

19. निर्देश दिया गया कि अभियंत्रण कोषांग के सभी अभियंताओं का वेतन ससमय नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कटौती की गयी राशि को संबंधित कार्यालयों में जमा किये जाने संबंधी कार्य की संबंधित लेखापाल के साथ नियमित समीक्षा करेंगे। इस पूरे कार्य का उप निदेशक, बुडा अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे। **(अनुपालन :– उप निदेशक, बुडा/प्रशाखा पदा०–4)**

20. Teal Leader, SPMG को निर्देश दिया गया कि नमामि गंगे योजनांतर्गत कार्यान्वित सिवरेज योजना यथा मुंगेर, बेगूसराय एवं हाजीपुर का bid document शीघ्र NMCG को भेजा जाय ताकि NOC प्राप्त हो सके। **(अनुपालन :– Teal Leader, SPMG)**

21. महालेखाकार कार्यालय में समायोजन हेतु लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के स्तर पर बैठक आयोजित करायी जाय, जिसमें महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी भी रहेंगे। इसकी संचिका आज ही उपस्थापित की जाय।
(अनुपालनः–श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक)

22. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/5/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2809 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 23/5/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, MIS/Team Leader, DEAS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5/2018

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

➢ प्रशाखा–01 :–

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➢ प्रशाखा–02 :–

1. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :–

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे–छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद् का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।

2. स्ट्रीट लाईट :–

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :–

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।

- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. <u>सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020</u> :–

(i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।

(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) सभी शहरी घरों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।

(iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन–सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➢ <u>प्रशाखा–03</u> :–

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. <u>जल निसरण</u> :–

- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. <u>शहरी परिवहन</u> :–

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने–जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार–विमर्श किया जाय।

4. <u>सबके लिए शौचालय</u> :–

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्त्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. <u>सिवरेज की व्यवस्था</u> :–

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।

- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय आदि।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</u> :–
   - पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. <u>सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020</u> :–
   (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
   (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
   (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➢ <u>AMRUT Mission से संबंधित कार्य</u> :–
   (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ <u>प्रशाखा–04</u> :–

1. <u>सबके लिए आवास (शहरी)</u> :–
   - शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
   - Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

2. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

3. <u>सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020</u> :–
   (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

- <u>NULM से संबंधित कार्य</u> :–
  शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➢ <u>प्रशाखा–05</u> :–

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।
3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. <u>नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन</u> :–

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

6. <u>नगरीय प्रशासन</u> :–

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनगर्ठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।

7. <u>सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020</u> :–

(i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➢ <u>प्रशाखा–6 :–</u>

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ <u>प्रशाखा–07 :–</u>

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Doubel Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➢ <u>प्रशाखा–8 :–</u>

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➢ <u>प्रशाखा–9 :–</u>

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➢ <u>प्रशाखा–10 :–</u>

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।

- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।

- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा–11** :–

1. **शहरों का सुनियोजित विकास** :–
   - मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
   - सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
   - नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
   - ''पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी'' को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
   - पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
   - 15 प्रमुख शहरों का ''आयोजना क्षेत्र'' घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
   - शहरों के आस–पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
   - ''नया पाटलिपुत्र'' बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
   - TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते है।
2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–
   (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला–मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।
3. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य** :–

(i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।

(ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।